अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

नगाराम V/s टीकमचन्द

	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	2023/69 R-1,2,3. अनु. श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री GA-4	

6/6/23

नगाराम बनाम टीकमचन्द बोहरा वगैरह (69/2023)

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को अपील पर दिनांक 01.06.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात खाता संख्या 218 खसरा नम्बर 80 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 968/81 रकबा 0.45 है0, खसरा नम्बर 970/82 रकबा 1.16 है0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के 1/2–1/2 हिस्से बाबत् अंकित है तथा उक्त आराजीयात बाबत् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त आराजीयात को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा विधिवत रूप से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनील उक्त आराजीयात को समर्पण किया गया। जिस बाबत् राजस्व रिकार्ड में नोट अंकन है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवादित आराजीयात कृषि भूमि से आवासीय भू–रूपान्तरण किया जाकर भू–रूपान्तरित कर दिया गया। जिसका भी अंकन राजस्व रिकार्ड में जरिये नामान्तकरण संख्या 349 दिनांक 29.05.2020 को अंकन है। इस प्रकार से उक्त आराजीयात वर्तमान में कृषि आराजीयात नहीं होकर आवासीय आराजीयात है तथा इसी प्रकार से विवादित आराजीयात खाता संख्या 121 के खसरा नम्बर 72 रकबा 1.39 है0 तथा खसरा नम्बर 79 रकबा 0.08 है0. जो वर्तमान में अपीलांट के नाम एकल खातेदारी/काश्तकारी के रूप में दर्ज है। जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 349 दिनांक 29.05.2020 को कृषि आराजीयात से आवासीय आराजीयात के रूप में अंकन किया जा चुका है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत होने के बावजूद तथा उक्त विवादित आराजीयात सम्बन्धी विवाद को सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.02.2023 द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश प्रदान कर दिये है जो कि क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण काबिल निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात बाबत् राजस्व कर्मचारियों द्वारा वर्किंग नक्शा ट्रेस से आधारभूत नक्शा ट्रेस मूर्तिब करते समय किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी थी तथा वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त वर्तमान अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को विवादित आराजीयात में अपने हक व अधिकारों से महरूम रखने के दुराशय से झूठे एवं असत्य कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद/ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से नैसृगिक न्याय, नियमों के विरूद्ध जाकर बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये उक्त आदेश दिनांक 02.02.2023 पारित किये गये है जो निरस्त योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,पुष्कर द्वारा पारित प्रकरण संख्या 07/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि प्रकरण में केवल प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट है।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा अपील पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन विवादित

राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

CamScanner

69/2023/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

नगराज V/s विक्रम चन्द

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
2023/69	R-1,2,3 मौ.
पेशी	श्री महेन्द्र सिंह चौहान श्री GA-4

लगातार

आराजीयात खाता संख्या 121 के खसरा नम्बर 72 रकबा 1.39 है0 तथा खसरा नम्बर 79 रकबा 0.08 है0. जो वर्तमान में अपीलांट के नाम एकल खातेदारी/काश्तकारी के रूप में दर्ज है। जिसका राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण संख्या 349 दिनांक 29.05.2020 को कृषि आराजीयात से आवासीय आराजीयात के रूप में अंकन किया जा चुका है इस प्रकार विवादित आराजी कृषि से आवासीय हो चुकी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खसरा नम्बर 72 रकबा 1.39 है0 बाबत् राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पारित किये है जो विधि सम्मत नहीं हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 02.02.2023 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे उभय पक्षकारों को जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 7/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2023 को निरस्त किया जाकर ,प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान से जवाब प्राप्त कर, सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.07.2023 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर